

बिहार सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना। (कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014 संख्या-व.सं. / 02 / 2022- 258

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह भा0व0से0 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) –सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार, पटना।

बिहार सरकार, पटना। पटना 15, दिनांक- 25/04/2024 विषय – भारतमाला परियोजना के तहत वैशाली, समस्तीपुर जिलान्तर्गत कल्याणपुर–ताल दशहारा (0.00–47.50 कि॰मी॰) पथांश निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 3.042 हे॰ वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर अन्तिम स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/ROAD/144718/ 2021/904 दिनांक 10.02.2023

महोदया,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि प्रसंगाधीन पत्र द्वारा विषयाधीन परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई थी। सैद्धान्तिक सहमति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, छपरा के पत्रांक 959 दिनांक 05.09.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है जो निम्नवत् है–

क्रम सं	MoEF&CC क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्र दिनांक 10.02.2023 में निहित कंडिका	अनुपालन
A 1	The cost of compensatory afforestation on the CA land (7.00 ha) at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण मद की कुल राशि रू० रू० 36,78,746/– (रूपये छत्तीस लाख अठ्ठतहर हजार सात सौ छियालीस) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry website पर प्रदर्शित है।
2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 3.042 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (c)	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 3.042 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रू० 29,13,567 / – (रूपये उनतीस लाख तैरह हजार पाँच सौ सडसठ) मात्र को ऑन लाईन

	No. 202/1995 and as per the guide lines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-Fc (Pt.II) dated 18/09/2003, as Well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-Fc dated 05/02/2009 and letter no. 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06-01-2022 in this regard.	के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry website पर प्रदर्शित है।
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा NPV एवं CA मद की राशि रू0 29,13,567.00 (+) रू. 36,78,746.00 अर्थात कुल रू. 65,92,313 / – (रूपये पैसठ लाख बानवें हजार तीन सौ तैरह) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में दिनांक 08.06.2023 को जमा करा दी गयी है जिसका UTR No. CNRBR52023060857150195 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
4	The KML files of the area to be diverted and the CA area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details and submitting compliance report for seeking stage-II approval.	क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित स्थल का KML files e-Green watch portal पर अपलोड कर दिया गया है।
5	The User agency shall be uploaded/submitted duly attested (with the signature of the concerned DFO and user agency) toposheet map with clearly delineated forest land proposed for diversion on it before the issuance of Stage-II approval.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर एवं दरभंगा द्वारा हस्ताक्षरित टोपोशीट मानचित्र को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
6	The User agency shall be uploaded/ submitted tree translocation plan before the issuance of Working Permission.	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर द्वारा अनुमोदित वृक्ष सुरक्षा योजना को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
7	The FRA certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District collector.	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर एवं वैशाली द्वारा निर्गेत FRA, 2006 प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है।
8	Violation of any of these conditions will amount to violation. of Forest (conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of chapter 1 of the Handbook of comprehensive Guidelines of Forest (conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/ 2017-FC Dated 28.03.2019.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का नहीं करने से संबंधित Undertaking समर्पित की गयी है जो इस पत्र के साथ संलग्न है।
9	The compliance report shall be uploaded on e- portal (https://parivesh.nic.in/).	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा Stage-I में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन Ministry website पर upload कर दिया गया है।
B 1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि प्रस्तावित पथांश में अपयोजित होने वाली वन भूमि के Legal status (वैधानिक स्थिति) में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
0	Compensatory afforestation shall be taken up	and a second and and and and and and and and and a

0		forest land (Site- Pachuadhin PF Chakai Range Compartment No. 1 under Jamui Forest Division) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species should be avoided.	की कुल राशि रू० रू० 36,78,746/- (रूपये छत्तीस लाख अद्उतहर हजार सात सौ छियालीस) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry website पर प्रदर्शित है।
	3	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert committee, shall also be charged by the state Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an Undertaking to this effect.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, अंतिम आदेश प्राप्त होने के उपरान्त भी यदि किसी प्रकार का अतिरिक्त NPV की राशि देय होगी तो उसका भुगतान किया जायेगा।
	4	User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision and direction of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department. Further, in view of the State Government's recommendation, such number of trees whose removal is unavoidable, and whose translocation (species, number and girth to be decided by SFD) is practicable, will be translocated to the extent possible at the cost of user agency.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार के Supervision में आवश्यकतानुसार कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में अनुमोदित वृक्ष सुरक्षा योजना के आलोक में वृक्षों का पातन एवं पुर्नरथापन किया जायेगा।
/	5	The User Agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शर्तों के अनुपालन से संबंधित वचनबद्धता समर्पित की गयी है जो इस पत्र के साथ संलग्न है।
	6 (a)	The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged in construction activities do not damage the nearby forest flora and fauna.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में इन शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
	(b)	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में इन शर्त्तों का अनुपालन किया जायेगा।
	7	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Ministry of Environment, Forest, & Climate Change.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय की अनुमति के बिना परियोजना lay out plan में बदलाव नहीं किया जायेगा।
	8 a	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता एजेसी द्वारा आश्वासन दिया गया है वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्य उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
	b	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life/ requirement.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि यह शर्त्त उन्हें मान्य है।
	c	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without	प्रयोक्ता एजेसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन

Æ

	prior approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.	मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्वानुमति के बिना किसी दुसरे विभाग/संख्था/व्यक्ति को वन भूमि का हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा।
9	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय द्वारा समय–समय पर निर्गत वन (संरक्षण) संबंधी सभी आदेश एवं नियमों का पालन किया जायेगा।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सभी अधिरोपित शत्तों का अनुपालन किया जा चुका है। अतः अनुरोध है कि भारत सरकार को विषयगत परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 3.042 हे॰ सुरक्षित वन घोषित, भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति निर्मत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है। अनु0–यथोक्त

> ह०/-(अरविन्दर सिंह) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) -सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण). बिहार, पटना।

विश्वासभाजन.

ज्ञापांक- व.सं. /02/2022- 258 दिनांक 25/04/2024 प्रतिलिपि - परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

भाषान्वर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) –सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना।

Proforma

1	Name of Regional Office	Inte	Integrated Regional Office Ranchi				
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bih	Bihar/Jahanabad/Forest Division Gaya				
3	Name of User Agency nature of proposal	The	e Pi	roject D	irector, NHAI, PIU Gaya	L.	
4	Extent of forest area involved	3.04	42	ha			
5	Whether Original, or extension	Ori	gir	nal			
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	NA	NA				
7	Date of 1st stage Clearance	10.0	02.	2023			
8	Extent of CAMPA charges head wise viz.	10.02.2027					
	a. Compensatory Afforestation	36,	78,	746/-			
	b. Additional CA						
	C. Penal NPV						
	d. Catchment Area Treatment						
	e. Wildlife Management Plan						
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas						
	g. Net present Value	29.	13.	567/-			
	h. Any other charges/Levies (Pl Specify)					100	
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated	3	S. N	MODE Remtt.	UTR No. and Dated	Amount	Head
	in paragraph 9		1	RTGS	CNRBR52023060857150	29,13,567/-	NPV
					195 dt. 08.06.2023	36,78,746/-	CA
					TOTAL	65,92,313/-	
10	Whether deposited by RTGS/NEFT, if so, the particulars & date of remittance	All above RTGS Challan for Ad-hoc CAMPA dated. 08.06.2023					
11	Bank [Corporation Bank, Lodhi Complex] in which deposited, with date of deposition	All above RTGS Challan for Ad-hoc CAMPA dated. 08.06.2023					

A- Mastaha

Æ

Signature of APCCF (CAMPA), -Cum-Nodal Officer (FC) क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक-21.08.2022 को अरण्य विहार परिसर, मुजफ्फरपुर स्थित उनके कार्यालय कक्ष में समस्तीपुर जिलान्तर्गत भारतमाला परियोजना के तहत कल्याणपुर से तालदशराहा के बीच कि0मी0 32.230वें अंश से 47.500वें अंश तक वन भूमि में 04 Lane Inter Corridor के निर्माण हेतु (वन संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कुल 2.294 हे0 वन भूमि अपयोजन के फलस्वरूप निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले वृक्षों के पुनर्रस्थापन/ पातन संबंधी वृक्ष सुरक्षा योजना हेतु बैठक की कार्यवाही।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास). बिहार, पटना कार्यालय आदेश संख्या-03 दिनांक-01.10.2019 द्वारा वृक्ष सुरक्षा योजना जन्तर्गत वृक्षों के पालन/ पुनर्रस्थापन पर निर्णय लेने हेतु समिति का गठन किया गया है, जिसमें संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समस्तीपुर जिलान्तर्गत भारतमाला परियोजना के तहत कल्याणपुर से तालदशराहा के बीच कि0मी0 32.230वें अश से 47.500वें अंश तक वन भूमि में 04 Lane Inter Corridor के निर्माण हेतु (वन संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अपयोजित होने वाले कुल 2.294 है0 वन भूमि अपयोजन के फलस्वरूप निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले वृक्षों के पुनर्रस्थापन/ पातन संबंधी निर्णय लेने हेतु क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी उपस्थित हए:-

1.	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजपफरपुर	-	अध्यक्ष
2.	वन संरक्षक, मुजफफरपुर अचल, मुजफफरपुर	1	सदस्य
3.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामरतीपुर वन प्रमंडल,	समस्तीपुर –	सदस्य स

कार्यवाही

वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर प्रमंडल, समस्तीपुर–सह– सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत भारतमाला परियोजना के तहत कल्याणपुर से तालदशराहा के बीच कि0मी0 32.230वें अश से 47.500वें अंश तक वन भूमि में 04 Lane Inter Corridor के निर्माण हेतु (वन संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत अपयोजित होने वाले कुल, 2.294 है0 वन भूमि अपयोजन के फलस्वरूप निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले निर्माणाधीन स्थल पर कुल 942 वृक्ष अवस्थित है। मुजपफरपुर – पुसा– समस्तीपुर पथ में कुल 695 वृक्ष एवं महुआ– ताजपुर पथ में 247 वृक्ष स्थल पर उपलब्ध है। मुजपफरपुर – पुसा– समस्तीपुर पथ में उपलब्ध कुल 695 वृक्षों में से 163 वृक्षों का पातन तथा 532 वृक्षों का पुनर्स्थापन किया जा सकता है। इसी प्रकार नहुआ ताजपुर पथ में अवस्थित कुल 247 वृक्षों में से 19 वृक्षों का पातन एवं 228 वृक्षों का पुनर्रधायन कर परियोजना निर्माण कार्य किया जा

चिव

सकता है। अर्थात कुल 942 वृक्षों में से 182 वृक्षों का पातन एवं 760 वृक्षों का पुनर्रथाएन किया जा सकता है।

वन संरक्षक, मुजफफरपुर अंचल, मुजफफरपुर–सह– सदस्य द्वारा बताया गया कि कुल 942 वृक्षों में से 61 सेoमीo गोलाई से उपर के 377 वृक्षों का पालन तथा 61 संoमीo गोलाई से कम गोलाई 565 वृक्षों का पुनर्रूथापन कर परियोजना निर्माण पूर्ण करने का आदेश दिया जा सकता है।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त समस्तीपुर जिलान्तर्गत भारतमाला परियोजना के तहत कल्याणपुर से तालवशराहा के बीच कि0मी0 32.230वें अंश से 47.500वें अंश तक वन भूमि में 04 Lane Inter Corridor के निर्माण हेतु (वन संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अपयोजित होने वाले कुल 2.294 हे0 वन भूमि अपयोजन के फलस्वरूप निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले वृक्षों के पुनर्रस्थापन / पातन पर निर्णय लिया गया कि :--

 परियोजना निर्माण के कम में कुल 942 वृक्षों में से 377 वृक्षों का पातन, 565 वृक्षों का पुनर्रथापन कर परियोजना निर्माण का कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर वन प्रमंडल, समस्तीपुर की देख-रेख में कराया जायेगा।

 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पातित होने वाले 377 वृक्षों के बदले 377 का दस गुणा अर्थात
3770 पौधों के लिए बॉस गैबियन वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलित राशि वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर वन प्रमंडल, समस्तीपुर को उपलब्ध कराया जायेगा।

3. वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर वन प्रमंडल, समस्तीपुर द्वारा 3770 पौधों के बॉस गैबियन वृक्षारोपण की योजना वर्त्तमान प्रचलित मजदूरी दर पर तीन वर्षों के सम्पोषण सहित प्राक्कलित राशि की मॉग प्रयोक्ता एजेन्सी से की जायेगी। प्रयोक्ता एजेन्सी से राशि प्राप्त कर वृक्षारोपण का कार्य कराया जायेगा।

4. पातित होने वाले वृक्षों से प्राप्त काष्ठ / जलावन के भंडारण हेतु अस्थायी वनागार की स्थापना, काष्ठ का लौट लगाना इत्यादि कार्यों के लिए विभागीय अनुसूची दर पर आकलन कर वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी से राशि की मॉग की जायेगी।

 पुनर्रथापन किये जाने वाले कुल 565 वृक्षों का तीन वर्षो तक देख-रेख का कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।

6. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि अपयोजन की स्वीकृति के उपरान्त यह आदेश प्रभावी होगा।

समिति के सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की

गयी।

20/40 21/2 /22

वन प्रमंडल पदाधिकारी वन संरक्षक समस्तीपुर वन प्रमंडल, दरभंगा। मुजफफरपुर अंचल, मुज0

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक मुजफ्फरपुर।

दूरभाष संख्या-0621.2271788 Email signed installarpurg gmail.com, rccfmuzaffarpur-bih@gov.in

ज्ञापांक- 534 दिनांक- 21.06.2022 प्रतिलिपि— 1. वन संरक्षक, मुजपफरपुर अंचल, मुजफफरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर वन प्रमंडल, समस्तीपुर को उनके कार्यालय ज्ञाप संख्या-781 दिनांक-20.05.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,

मुजफ्फरपुर।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक—21.11.2022 को अरण्य विहार परिसर, मुजफ्फरपुर स्थित कार्यालय कक्ष में भारतमाला परियोजना के तहत वैशाली एवं समस्तीपुर जिलान्तर्गत कल्याणपुर— ताल दशराहा (0.00—47.50 कि0मी0) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 3.042 हे0 वन मूमि में पड़ने वाले वृक्षों के पुनर्रथापन/ पातन संबंधी वृक्ष सुरक्षा योजना हेतु बैठक की कार्यवाही।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना कार्यालय आदेश संख्या-03 दिनांक-01.10.2019 द्वारा वृक्ष सुरक्षा योजना अन्तर्गत वृक्षों के पातन / पुनर्स्थापन पर निर्णय लेने हेतु समिति का गठन किया गया है जिसमें संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। भारतमाला परियोजना के तहत वैशाली एवं समस्तीपुर जिलान्तर्गत कल्याणपुर- ताल दशहरा (0.00-47.50 कि0मी0) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 3.042 हे0 वन भूमि में पड़ने वाले पथ के निर्माण बाधक बने विभिन्न प्रजाति के वृक्षों के पुनर्रधापन / पातन पर निर्णय लेने हेतु क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में समिति के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी उपस्थित हुए:-

1.	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर	-	अध्यक्ष
2.	वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान	-	सदस्य
3.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, वैशाली वन प्रमंडल, हाजीपुर	-	सदस्य सचिव

1.1

कार्यवाही

वन प्रमंडल पदाधिकारी, वैशाली वन प्रमंडल, हाजीपुर-सह- सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि भारतमाला परियोजना के तहत वैशाली एवं समस्तीपुर जिलान्तर्गत कल्याणपुर- ताल दशराहा (0.00-47.50 कि0मी0) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 3.042 हे0 वन भूमि में पड़ने वाले पथ के निर्माण बाधक बने विभिन्न प्रजाति के कुल 141 वृक्ष अवस्थित है जिसमें से 71 वृक्षों का पुनर्रथापन तथा 70 वृक्षों का पातन प्रस्तावित है। यह क्षेत्र वन भूमि के रूप में अधिसूचित है।

वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान-सह- सदस्य बैठक में उपस्थित रहे।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त भारतमाला परियोजना के तहत वैशाली एवं समस्तीपुर जिलान्तर्गत कल्याणपुर– ताल दशराहा (0.00–47.50 कि0मी0) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 3.042 हे0 वन भूमि में पड़ने वाले पथ के निर्माण में बाधक बने विभिन्न प्रजाति के वृक्षों के पुनर्रथापन/ पातन पर निर्णय लिया गया कि :– परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 141 वृक्षों में से निम्नवत पतान / पुनर्रस्थापन का कार्य किया जायेगाः—

महुआ – ताजपुर रोड बायों भाग एवं दाया भाग में 60–90 से0मी0 गोलाई तक के – आम–1, ऑवला–9, अर्जुन–3, चकुण्डी–5. छतवन–3, जामुन–24, करंज–2, महोगनी–2, सेमल–39, शीशम–6, सिरिस–2, बेल–1, बकैन–1 अर्थात कुल–98 वृक्षों का पुनर्स्थापन कर परियोजना निर्माण का कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, वैशाली वन प्रमंडल, हाजीपुर की देख–रेख में कराया जायेगा।

2. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पातित होने वाले 43 वृक्षों के बदले तीन गुणा 126 पौधे अर्थात 130 पौधों के बॉस गैबियन वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलित राशि वन प्रमंडल पदाधिकारी, वैशाली वन प्रमंडल, हाजीपुर को उपलब्ध कराया जायेगा।

3. वन प्रमंडल पदाधिकारी, वैशाली वन प्रमंडल, हाजीपुर द्वारा 130 पौधों के बॉस गैबियन वृक्षारोपण की योजना वर्त्तमान प्रचलित मजदूरी दर पर तीन वर्षो के सम्पोषण सहित प्राक्कलित राशि की मॉग प्रयोक्ता एजेन्सी से की जायेगी। प्रयोक्ता एजेन्सी से राशि प्राप्त कर वृक्षारोपण का कार्य कराया जायेगा।

4. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वृक्षारोपण की कुल अवधि में मजदूरी दर एवं सामग्री के मूल्य में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए क्रमशः 10, 20, एवं 30 प्रतिशत अतिरिक्त राशि प्रत्येक सम्पोषण वर्ष के लिए प्रयोक्ता एजेन्सी से मांग की जायेगी।

5. पातित होने वाले वृक्षों से प्राप्त काष्ठ / जलावन के भंडारण हेतु अस्थायी वनागार की स्थापना, काष्ठ का लौट लगाना इत्यादि कार्यो के लिए विभागीय अनुसूची दर पर आकलन कर वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी से राशि की मॉग की जायेंगी।

6. पुनर्रथापन योग्य कुल 98 वृक्षों की शाखाओं / टहनियों को काटने के उपरान्त Fungicide Blitox का लेप कटी हुई टहनियों / शाखाओं के खुले भाग पर किया जायेगा। उखाड़े गये वृक्षों को नये स्थान पर पुनर्रथापित करने के समय Insecticide Chlorpyriphos,fungicide Bavistine, Phosphate fertilizer के साथ–साथ जडों को विकसित करने वाले hormone के लिए Indol acetic acid (IAA) का उपयोग किया जायेगा। पुनर्रथापित 98 वृक्षों की देख–रेख तीन वर्षो तक प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा, जिसका अनुश्रवण विभागीय स्तर से किया जायेगा।

7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पुसा, समस्तीपुर एवं पंडित दीन दयाल उपाध्याय उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय, पीपराकोठी, मोतिहारी के किसी Arborist या वैज्ञानिक को मानदेय पर रख कर स्थानान्तरित वृक्तों का Scientific अनुश्रवण कराया जायेगा जिसके मानदेय की राशि उनके द्वारा भुगतान की जायेगी। Scientific अनुश्रवण के क्रम में वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सलाह को मानना प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक होगा। इसका अनुश्रवण वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि अपयोजन की स्वीकृति के 8. उपरान्त यह आदेश प्रभावी होगा।

समिति के सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

the infor a वन प्रमंडल पदाधिकारी

वन संरक्षक क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,

वैशाली वन प्रमंडल, हाजीपुर। सीवान अंचल, सीवान

मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक- 1054 दिनांक- 21-11-2022 प्रतिलिपि- 1. वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान को उनके कार्यालय पत्र संख्या–2164 दिनांक–18.11.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। 2. वन प्रमंडल पदाधिकारी, वैशाली वन प्रमंडल, हाजीपुर को उनके कार्यालय पत्र संख्या-1944 दिनांक-17.11.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

hat 21/1/2022

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक- 1034 Gaina-21-11-2022 प्रतिलिपि– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह– नोडल पदाधिकारी. वन संरक्षण, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

hat 121/11/202 क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर।

14.9



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) National Highway Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highway Govt. of India) परियोजना कार्यान्वयन इकाई—छपरा





Ph: 06152-248058 & 248052 Email: <u>hajipur@nhai.org</u>, nhaichhapra@gmail.com

मकान—श्री मति गायत्री देवी, ए१, प्रमुनाथ नगर, पोस्ट—तारी, थाना—मुफसिल, जिला—सारण (छपरा), बिहार, पिन—841301 H/o- Smt. Gayatri Devi, A1, Prabhunath Nagar, PO-Tari, PS-Mufsil, District-Saran (Chhapra), Bihar, Pin - 841301

NHAI/PIU/Chhapra/NH-119D/Pkg-3/FC/197789/20233/615

16.06.2023

To,

The APCCF-CUM-NODAL OFFICER (FC), Department of Environment Forest and Climate Change, 3rd Floor, Aranya Bhawan, Shaheed Peer Ali Khan Path, Patna - 800014, Bihar

- Sub: In-principle (Stage-I) approval of Central Government under Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 3.042 ha forest land in favour of NHAI, PIU-Chhapra for construction of Four Lane Inter corridor from Kalyanpur to Tal Dashraha (0.000-47.500) Package-IV, NH-119D Road under Bharatmala Pariyojana in Vaishali and Samastipur district of Bihar (Online Proposal No. FP/BR/ROAD/144718/2021): Submission of Compliance report for obtaining Final (Stage-II) forest approval - reg
- Ref: Govt. of India, MoEF&CC, IRO Ranchi's letter No: FP/BR/ROAD/144718/2021/904 dated 10.02.2023 (copy enclosed)

Sir,

This is with reference to the subject and In-principal approval for diversion of 3.042 ha protected forest by the Govt. of India, MoEF&CC, IRO- Ranchi vide their File No: FP/BR/ROAD/144718/2021/904, dated 10.02.2023 above.

2. In this regard, point-wise compliance report of the conditions made by Govt. of India, MoEF&CC, IRO Ranchi is below for your consideration and grant of final forest clearance:

A. Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department:-

Sl. No.	Conditions made by the MoEF&CC, IRO Ranchi	Compliance
(1)	The Cost of compensatory afforestation on the CA land (7 ha) at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	(CA) amounting to Rs. 36,78,746/ - & Net Present Value (NPV) amounting to Rs 29,13,567/ - (Total amount of CA & NPV Rs. 65,92,313/-) as per demand received from State Forest Department vide letter no.
(2)	The state Govt. shall charge the Net Present Value (NPV) for the 3.042 ha forest area to be	from Parivesh Portal. Copy of payment receipt is enclosed as

Men-

SI. No.	Conditions made by the MoEF&CC, IRO Ranchi	Compliance	
	diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WPI No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and letter No. 5-3/2011-FC(Vol-I) dated 6/1/2022 in this regard.	reflecting on the Parivesh Port with Transaction ID 978399, date 8th June, 2023.	
(3)	All the funds received from the user Agency under the project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through e-portal (<u>https://parivesh.nic.in/</u>).		
(4)	The KML files of the area to be diverted and the CA area shall be uploaded on the e-green watch portal with all requisite details and submitting compliance report for seeking stage-II approval.	Pertains to Forest Department	
(5)	The User agency shall be uploaded/ submitted duly attested (with the signature of the concerned DFO and user agency) toposheet map with clearly delineated forest land proposed for diversion on it, before the issuance of Stage-II approval.	Agreed	
(6)	The User agency shall be upload/ submitted tree translocation plan before the issuance of Working Permission.	Tree translocation plan is uploaded on the Parivesh Portal under additional information in Form-I.	
(7)	The FRA certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	FRA 2006 certificate has been issued by District Collector, Vaishali vide letter no. 937, dated 25.05.2023 and by District Collector, Samastipur vide letter no. 1092 dated 01.04.2023. Copies of FRA certificates in original are enclosed as Annexure-II.	
(8)	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as	Agreed	

-

Sl. No.	Conditions made by the MoEF&CC, IRO Ranchi	Compliance
	prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	
(9)	The compliance report shall be uploaded on e- portal (<u>https://parivesh.nic.in/</u>).	Compliance report shall be uploaded on Parivesh e-portal.

(B) Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the user agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:

SI. No.	Conditions made by the MoEF&CC, IRO Ranchi	Compliance	
1.	Legal status of the forest land will remain unchanged;	Agreed	
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 7 ha. degraded forest land (Site - Pachuadhih PF, Chakai Range, Compartment No. 1 under Jamui Forest Division) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species should be avoided.	Pertains to State Forest Department.	
3.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	Undertaking by User Agency with regard to additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, has already been given and it is uploaded in Part-I under additional information on Parivesh Portal.	
4.	User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision and permission of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department. Further, in view of the State Government's recommendation, such number of trees whose removal is unavoidable, and whose translocation (species, number and girth to be decided by SFD) is practicable, will be translocated to the extent possible at the cost of user agency.	Agreed	

Men

SI. No.	Conditions made by the MoEF&CC, IRO Ranchi	Compliance
5.	The State Forest Department should raise Strip Plantation on both sides of the road as per the IRC norms.	Pertains to State Forest Department.
6.	(a) The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged in construction activities do not damage the nereby forest flora and fauna.	Agreed
	(b) The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nereby forest areas.	
7.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.	Agreed
8.	(a) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	Agreed
	(b) The period of diversion under this approval shall be co- terminus with the period of the project life/ requirement.	
	(c) The Forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.	
9.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	Agreed

3. In view of above, it is requested to grant the final (Stage-II) Forest Clearance at the earliest.

Yours sincerely,

Men

Manoj Kumar GM (T) / Project Director

Copy to:

- 1. RO Patna, NHAI: for kind information please
- 2. DFO, Samastipur Forest Division, Samastipur
- 3. DFO, Vaishali Forest Division, Vaishali

Undertaking

- Sub: In-principle (Stage-I) approval of Central Government under Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 3.042 ha forest land in favour of NHAI, PIU-Chhapra for construction of Four Lane Inter corridor from Kalyanpur to Tal Dashraha (0.000-47.500) Package-IV, NH-119D Road under Bharatmala Pariyojana in Vaishali and Samastipur district of Bihar. (Online Proposal No. FP/BR/ROAD/144718/2021): Undertakings for final (Stage-II) forest approval -reg
- Ref: Govt. of India, MoEF&CC, IRO Ranchi's letter No: FP/BR/ROAD/144718/2021/904, dated 10.02.2023

The user agency NHAI, PIU Chhapra hereby undertakes the following:

- 1. That the Legal status of the forest land will remain unchanged.
- 2. That the User Agency i.e., NHAI shall deposit Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency.
- 3. User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision and permission of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department. Further, in view of the State Government's recommendation, such number of trees whose removal is unavoidable, and whose translocation (species, number and girth to be decided by SFD) is practicable, will be translocated to the extent possible at the cost of user agency.
- 4. (a) The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged in construction activities do not damage the nearby forest flora and fauna.

(b) The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.

- 5. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.
- 6. (a) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

(b) The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life/ requirement.

(c) The Forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.

7. That NHAI further undertakes to abide any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.

Manoj Kumar GM (T) / Project Director NHAI PIU Chhapra

Project Director NHAI, PIU-CHHAPFA

Men

Transfer Money

A CONFIRMATION

Transfer Money submitted successfully.

Reference Number 0806BDD4E7FB

Status Completed

UTR Number CNRBR52023060857150195

Account to be debited	Account to be credited
1967201001013	CAMP
Account Number	IFSC Code
1506261144718572	UBIN0996335
Account Type	Amount ₹
Domestic - Savings	₹ 65,92,313.00
Transaction Date	Pay Via
08 Jun 2023	RTGS

What would you like to do next?









х

E e-Receipt

More Payment Options

Go To Dashboard

Add Favourite

Print

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, *समस्तीपुर* के तहत रैखिक परियोजना निर्माण <u>हेतु FRA 2006 का प्रमाण पत्र</u> (भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक– 28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत्)

संख्या- 1092-दिनांक- 01- 04- 2023

प्रमाणित किया जाता है कि समस्तीपुर जिले में प्रयोक्ता एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मुजफफरपुर द्वारा भारतमाला परियोजना अन्तर्गत NH-119D के कल्याणपुर से ताल-दशरहा खण्ड (कि॰मी॰-0.000 से कि॰मी॰-47.500) (आमस-दरभंगा/पैकेज-IV) 4-लेन सड़क रैखिक परियोजना निर्माण स्थान कल्याणपुर से ताल दशरहा (कि॰मी॰-32.230 से कि॰मी॰-47.500) तक कुल 1.020 कि॰मी॰ में पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के 2.294 हे॰ रकबा के अपयोजन हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक-424, दिनांक-20.03.2023 द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तद्आलोक में प्रस्ताव के जाँचोपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका–1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक–13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षो से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गांवो में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

> ह०/-जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

OR

Certified that forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as a "Forest" less than 75 year prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Schedule Tribes, as per the Census- 2001 and the Census- 2011.

Place: Samaltipur. Dated: 1.4.2.3

17



District Magistrate and Office Seal

win- Samalti pur. तिथि- 1-4-23

कार्यालय जिला पदाधिकारी, वैशाली के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु FRA, 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या .9.8.7...., दिनांक 26:05:28

पमाणित किया जाता है कि वैशाली जिले में प्रयोक्ता एर्जेसी Project Director NHAI PIU-Chhapra द्वारा रैखिक परियोजना निर्माण स्थान भारतमाला अन्तर्गत NII-119D के कल्याणपुर से ताल-दशरहा खण्ड (कि0मी0-0.000 से कि0मी0-47.500) (आमस-दरभंगा/पैकेज-IV) 4-लेन सड़क निर्माण से राष्ट्रीय राजमार्ग (सड़क) का निर्माण प्रचालन एवं प्रबंधन तक कुल कि0मी0 0.374 कि0मी0 में पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के 0.748 हे0 रकवा के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एर्जेसी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, वैशाली, वन प्रमंडल, हाजीपुर के पत्रांक-119, दिनांक-17.01.2023 द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तद्आलोक में प्रस्ताव के जाँचोपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका–1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक–13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षो से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गाँवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

रथान :- हाजीपुर तिथि :- 2600802028 **िला पदाश्विकारी** जिला पदाश्विकारी का हस्ताक्षर एवं मोहर

<u>OR</u>

Certified that Forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to he 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per Census-2001 and the Census-2001

Place :- Hajipur Date :- 26.05.2028





